भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 867
उत्तर देने की तारीख : 04.12.2025

पीएम विश्वकर्मा योजना का क्रियान्वयन

867. श्री शशांक मणिः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकृत और प्रशिक्षित कारीगरों और शिल्पकारों की संख्या कितनी है;

(ख) एमएसएमई के डिजिटल भुगतान, यूपीआई ऑनबोर्डिंग और ई-कॉमर्स भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार चैंपियंस पोर्टल के तहत जिला स्तरीय एमएसएमई सुविधा केंद्रों को मजबूत करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : पीएम विश्वकर्मा स्कीम का शुभारंभ, अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 पारंपरिक व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पियों को समग्र सहायता प्रदान करने के लिए, दिनांक 17.09.2023 को किया गया था। दिनांक 01.12.2025 की स्थिति के अनुसार, 30 लाख लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है जिनमें से 23.09 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(ख) : पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत, लाभार्थियों को डिजिटल भुगतान का लाभ प्राप्त करने में समर्थ बनाने हेतु भारतीय डाक भुगतान बैंक, पेटीएम, पेनियरबाय, भारतपे और फोनपे के साथ क्यूआर कोड बनाने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आज की तिथि के अनुसार, 6.8 लाख से अधिक कारीगरों/शिल्पियों को 22 करोड़ रुपए की राशि के डिजिटल भुगतान किए गए हैं। साथ ही, पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को विभिन्न इ-कॉमर्स प्लेटफोर्मों जैसे ओएनडीसी, फैबइंडिया, मिशो आदि के माध्यम से ऑनलाइन विपणन सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि घरेलू के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में उनके उत्पादों की बिक्री को बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त, 30,000 से अधिक विश्वकर्मा लाभार्थियों को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर सफलतापूर्वक ऑनबोर्ड किया गया है ताकि संस्थागत खरीदारों तक उनकी पहुँच बढ़ सकें।

(ग) : चैम्पियंस पोर्टल समाधान, निवारण और उपचार के लिए एक मंच है। यह सुविधा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रदान की जा रही हैं, जिसमें:-

I. एमएसएमई शिकायतों का शीघ्र, सरल और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना।
II. विभिन्न सरकारी स्कीमों/नीतियों को शुरू करने में हेंडहोल्डिंग के साथ एमएसएमई को सहायता प्रदान करना।
III. मंत्रालय, राज्य सरकारों, ऋणप्रदाता संस्थानों और सरकारी एजेंसियों के मुख्य अधिकारियों के साथ एमएसएमई को जोड़ना।
IV. एमएसएमई मंत्रालय की सभी स्कीमों की सूचना एवं ब्यौरों का प्रचार-प्रसार करना शामिल हैं।

आज की तिथि के अनुसार, यह पोर्टल, देश भर में 69 राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से प्राप्त सुविधा का प्रयोग करते हुए, 23 भाषाओं में सूचना प्रसारित करता है, जिसमें अंग्रेजी और 22 स्थानीय भाषाएँ शामिल हैं। चैम्पियंस पोर्टल पर शंकाओं का समाधान करने के लिए विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों, राज्य सहकारी समितियों, सीपीएसई/स्वायत्त निकायों आदि को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। दिनांक 26.11.2025 की स्थिति के अनुसार, पोर्टल पर 1,59,577 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और 99.24% (1,58,372) का समाधान कर दिया गया है।

***